न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सेवा अपील वाद संख्या–138 / 2018
मनोज कुमार साह –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20/7/2018	**आदेश** वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा संबंधित विभागीय निदेश का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् आदेश ज्ञापांक 228 दिनांक 06.06.2018 विभागीय निदेश पत्रांक 165209 दिनांक 21.10.2013 के अनुरूप पारित किया गया है। जबकि विभागीय निदेश पत्रांक 205985 दिनांक 21.10.2014 से अनुबंध रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी महोदय में सन्निहित किया गया है। उक्त विभागीय निदेश पत्रांक 205985 दिनांक 21.10.2014 का स्पष्टतः उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत् आदेश पारित किया जो क्षेत्राधिकार के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधिरोपित आरोप वास्तविक तथ्य के विपरीत है एवं वास्तविक तथ्य के विपरीत प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है। अतः उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय तथा अपीलार्थी को पुनर्बहाल करने की कृपा की जाय। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख पर संधारित विभागीय निदेश के अनुरूप उचित आदेश पारित किया जा सकता है। उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 205985 दिनांक 21.10.2014 से यह स्पष्ट है कि अनुबंध रद्द करने का अधिकार उप विकास आयुक्त, दरभंगा में सन्निहित नहीं है, जबकि प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है जो विभागीय निदेश के विपरीत है। अतः उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 228 दिनांक 06.06.2018 हस्तक्षेप योग्य है, जिसे निरस्त किया जाता है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विभागीय निदेश पत्रांक 205985 दिनांक 21.10.2014 के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त विवेचना के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उप विकास आयुक्त, दरभंगा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। 20/7/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	